

न्यायालय अपर समाहर्ता गुमला

अनुमति अपील वाद संख्या-01/2019-20

अमरनाथ टोपों - अपीलार्थी

बनाम

रोपा उरॉव - उत्तरवादी

आदेश


11/11/20

अपीलार्थी अमरनाथ टोपों पिता-स्व0 सुरजा उरॉव ग्राम-करम टोली पोस्ट-थाना+जिला-गुमला ने भूमि सुधार उप समाहर्ता, गुमला के अनुमति वाद सं0-149/2018-19 में दिनांक-13.10.2018 को पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय अपील दायर किया गया है।

अभिलेख फलक के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी लगातार कई तिथियों से अनुपस्थित है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को इस वाद से कोई अभिरुची नहीं रह गई है।

अतः अपील वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है।

कार्यवाहक सहायक को निदेश दिया जाता है कि निम्न न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापस की जाय।

  
अपर समाहर्ता,  
गुमला